

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नज़ारत), प्रतापगढ़, उ०प्र०**

**नीलामी सूचना वर्ष: 2024-2025**

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर, प्रतापगढ़ में स्थित 01 कदम्ब, 01 कटसागौन व 01 गूलर के पेड़ की नीलामी दिनांक 18.01.2025 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में नियत की गयी है।

अतः इच्छुक व्यक्ति उक्त तिथि को अपरान्ह 04.30 बजे उपस्थित होकर उक्त पेड़ की नीलामी हेतु बोली में सम्मिलित हो सकते हैं।

**नीलामी की शर्तें एवं प्रतिबन्ध**

1. उक्त कदम्ब, कटसागौन व गूलर के पेड़ों की नीलामी दिनांक 18.01.2025 को होना सुनिश्चित है, जिसमें न्यूनतम बोली कमशः 800, 1100 व 800 रुपये से प्रारम्भ होगी।
2. नीलामी में वही लोग भाग ले सकते हैं, जो नीलाम होने के पूर्व कार्यालय नज़ारत अनुभाग में पांच सौ रूपया प्रति पेड़ जमानत के रूप में जमा करेंगे।
3. जिस व्यक्ति के नाम नीलामी समाप्त होगी यदि वह नीलामी नहीं लेता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. बोली समाप्त होने पर सर्वाधिक बोली की 1/3 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। शेष धनराशि एक सप्ताह के भीतर देय होगी। जमा की गयी जमानत धनराशि को अंतिम धनराशि में समायोजित हो जायेगी।
5. नीलाम होने वाले वृक्ष को काटने, उठाने, ले जाने में परिसर की दीवार, भवन या वृक्ष की क्षति न होने पाये। उक्त में ढिलायी होने पर नीलामी प्राप्तकर्ता से तुरन्त क्षतिपूर्ति वसूली जायेगी।
6. नीलामी में सिक्क्योरिटी धनराशि जमा करने वाले व्यक्ति के अलावा उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता को माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा नीलामी अनुमोदित होने के पश्चात नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करना होगा।
8. नीलामी प्राप्तकर्ता को उपरोक्त पेड़ को स्वयं काटकर अपने खर्च पर वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर कदम्ब, कटसागौन व गूलर के पेड़ को नीलामी में दी गई शर्तों के अनुसार कटवाकर अपने खर्च पर नियमानुसार ले जाना होगा।
9. नीलामी प्राप्तकर्ता को उपरोक्त पेड़ों को हटाने हेतु कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।
10. माननीय जिला जज, प्रतापगढ़ उचित बोली न होने पर नीलाम की तिथि बढ़ा सकते हैं।
11. माननीय जिला जज, प्रतापगढ़ नीलामी को बिना कारण बताये हुये रद्द कर सकते हैं या कोई अन्य आदेश पारित कर सकते हैं जो सभी को मान्य होगा।
12. अन्तिम आदेश जिला जज, प्रतापगढ़ का होगा।
13. नीलामी के शर्त एवं प्रतिबन्ध माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हो।

ह०/-

सदस्य

**सुनीता सिंह नागौर**

अपर जिला जज/एफ०टी०सी०-। अपर जिला जज/एफ०टी०सी०  
प्रतापगढ़।

ह०/-

सदस्य

**अजय कुमार-।**

अपर जिला जज/एफ०टी०सी०  
प्रतापगढ़।

ह०/-

अध्यक्ष, नीलामी कमेटी

**बाबूराम**

अपर जिला जज, कक्ष सं० 02  
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि जिला न्यायालय प्रतापगढ़ की वेब साइट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तहसील प्रांगण, दीवानी न्यायालय के मेन गेट पर, बाजार में, नज़ारत कुण्डा, नज़ारत लालगंज अझारा एवं नज़ारत प्रतापगढ़, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ कार्यालय में सूचनाार्थ चस्पा की जाए तथा निःशुल्क प्रकाशन हेतु अखबार को भेजी जाए।